

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 369 / 10

संस्थित दि.: 17 / 06 / 10

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
अन्तर्गत चौकी उकवा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

हितेश कुमार भौतेकर पिता इंदलसिंह भौतेकर, उम्र 27 साल,
निवासी दिनाटोला थाना रूपझर, जिला बालाघाट (म.प्र.).

..... आरोपी

— :: निर्णय :: —

(आज दिनांक 09 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्टस-2), 338 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 06.04.2010 को शाम के 05:00 बजे ग्राम समनापुर के आगे गोड़ी नाला के पास टर्निंग में थाना रूपझर के अन्तर्गत लोगमार्ग पर वाहन टाटा टरबो ट्रक 1109 क्रमांक सी.जी.04—जे.ए.3054 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं विजय, कमली को टक्कर मारकर उपहति कारित की व विजय यादव को घोर उपहति कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया कमली यादव ने दिनांक 06.04.2010 को चौकी उकवा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह उसके पति विजय यादव के साथ हीरो होण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक एम.एच.31—सी.एक्स.2925 पर बैठकर कोयलीखापा जा रही थी। समनापुर के आगे गोड़ी नाला के पास टर्निंग में सामने बैहर तरफ से एक ट्रक 1109 मॉडल हाफ डाला के चालक ने तेजगति एवं लापरवाहीपूर्वक ट्रक को चलाते हुये लाकर उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसके पति विजय यादव को दाहिने पैर तथा दोनों बख्खों में चोट आई व उसे दाहिने पैर में चोट लगी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से ट्रक 1109 मॉडल हाफ डाला के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0 / 10 धारा 279,

337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 37/10 धारा 279, 337 भा.दं.वि. तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337 (काउन्ट्स-2), 338 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादिया ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 06.04.2010 को शाम के 05:00 बजे ग्राम समनापुर के आगे गेड़ी नाला के पास टर्निंग में थाना रूपझर के अन्तर्गत लोगमार्ग पर वाहन टाटा टरबो ट्रक 1109 क्रमांक सी.जी.04-जे.ए.3054 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया?
- (2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन टाटा टरबो ट्रक 1109 क्रमांक सी.जी. 04-जे.ए.3054 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर विजय यादव एवं कमली यादव को टक्कर मारकर उपहति कारित की ?
- (3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर

वाहन टाटा टरबो ट्रक 1109 क्रमांक सी.जी.

04—जे.ए.3054 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक

तारीके से चलाकर विजय यादव को टक्कर

मारकर घोर उपहति कारित की ?

— :: सकारण निष्कर्ष :: —

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2 एवं 3 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2 एवं 3 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी एल.सी.चौधरी (अ.सा. 7) का कहना कि उसने दिनांक 06.04.2010 को चौकी उकवा से आरक्षक रमेश बिसेन क्रमांक 60 द्वारा अपराध क्रमांक 0/10 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रूपझर में पेश करने पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 37/10 की असल कायमी की गई थी, जो प्रदर्श पी-08 है।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता फूलचंद (अ.सा. 1) का कहना है कि उसने दिनांक 06.04.2010 को पुलिस चौकी प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत अपराध क्रमांक 37/10 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर कोमल बिसेन की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। गवाह कमलीबाई, विजय यादव, कोमल बिसेन, अशोक सैयाम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी हितेश से 1109 मॉडल टरबो ट्रक डाला सहित मय दस्तावेजों के जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। आरोपी हितेश कुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर निलय जैन (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 06.04.2010 को उसके समक्ष आरक्षक लिखन बिसेन क्रमांक 942 के द्वारा आहत विजय यादव, उम्र 28 साल को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिस पर उसने आहत के सीधे पैर में डिफॉरमिटी एवं बांये कंधे पर सूजन होना पाया था तथा आहत दर्द की शिकायत कर रहा था। आहत को आई चोटों के लिये उसने आहत को पुरुष सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था। उसके द्वारा तैयार की गई आहत विजय यादव की चिकित्सीय

परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। उसी दिनां को उसी आरक्षक के द्वारा आहत कमली यादव को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के सीधे पैर में दर्द एवं सूजन होना पाया था। इसके अलावा आहत को कोई बाहारी चोट नहीं पाई थी। आहत को आई चोट के लिये उसने आहत को महिजा सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था। उसके द्वारा तैयार की गई आहत कमली यादव की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(10) अभियोजन साक्षी डॉक्टर मधुकर (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 07.04.2010 को विजय मोहन यादव, उम्र 26 साल, को रिश्तेदारों के साथ लाया गया था। तब उसे सीधे पैर में जांघ के नीचे के हिस्से में दर्द था। एक्सरा करने पर फ्रेक्चर सेफ्ट सीधे पैर में पाया था। दिनांक 28.04.2010 को उसने उसका ऑपरेशन किया और दिनांक 11.04.2010 को ठीक हालत में छोड़ा। उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है। आहत की एक्सरे प्लेट अर्टिकल ए-1 से लगायत ए-4 है।

(11) अभियोजन साक्षी कमली यादव (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना वर्ष 2010 की है। वह उसके पति के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर नागपुर से उसके मायके कोयलीखापा जा रही थी। बैहर से एक ट्रक सामने से आया और अचानक से ट्रक को मोड़ दिया, जिससे उनकी मोटरसाईकिल ट्रक के पीछे की साईड से टकरा गई और वह मोटरसाईकिल सहित गिर गये, गिरने से उसके दाहिने पैर पर एवं उसके पति के सोल्डर व पैर में चोट आई। घटना के समय ट्रक कौन चला रहा था, उसने नहीं देख पाया था। घटना की रिपोर्ट उसने चौकी उकवा में की थी, जो प्रदर्श पी-07 है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि वाहन के नम्बर उसने नहीं बताये थे।

(12) अभियोजन साक्षी विजय यादव (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना वर्ष 2010 की है। वह उसकी पत्नी को मोटरसाईकिल पर बैठकर नागपुर से कोयलीखापा जा रहा था। बैहर से एक ट्रक सामने से आया और अचानक से ट्रक को मोड़ दिया, जिससे उसकी मोटरसाईकिल ट्रक के पीछे की साईड से टकरा गई और वह मोटरसाईकिल सहित गिर गये, गिरने से उसकी पत्नी के दाहिने पैर पर एवं उसके सोल्डर व पैर में चोट आई। घटना के समय ट्रक कौन चला रहा था, उसने नहीं देख पाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में

बताया है कि दुर्घटना में वह बेहोश हो गया था। घटना होते हुये किसी ने नहीं देखी। दुर्घटना मोड़ होने के कारण हुई।

(13) अभियोजन साक्षी कोमल बिसेन (अ.सा. 2) एवं अशोक सैयाम (अ.सा. 3) का कहना है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है, फरियादिया ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर आरोपी को झूठा फंसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(15) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(16) अभियोजन साक्षी एल.सी.चौधरी (अ.सा. 7) का कहना कि उसने दिनांक 06.04.2010 को चौकी उकवा से आरक्षक रमेश बिसेन क्रमांक 60 द्वारा अपराध क्रमांक 0 / 10 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रूपझर में पेश करने पर उसके द्वारा अपराध क्रमांक 37 / 10 की असल कायमी की गई थी, जो प्रदर्श पी-08 है।

(17) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता फूलचंद (अ.सा. 1) का कहना है कि उसने दिनांक 06.04.2010 को पुलिस चौकी प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत अपराध क्रमांक 37 / 10 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर कोमल बिसेन की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। गवाह कमलीबाई, विजय यादव, कोमल बिसेन, अशोक सैयाम के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। आरोपी हितेश से 1109 मॉडल टरबो ट्रक डाला सहित मय दस्तावेजों के जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-02 है। आरोपी हितेश कुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-03 तैयार किया था।

(18) अभियोजन साक्षी डॉक्टर निलय जैन (अ.सा. 8) का कहना है कि दिनांक 06.04.2010 को उसके समक्ष आरक्षक लिखन बिसेन क्रमांक 942 के द्वारा आहत विजय यादव, उम्र 28 साल को परीक्षण हेतु लाया गया था, जिस पर उसने आहत के

सीधे पैर में डिफॉरमिटी एवं बांये कंधे पर सूजन होना पाया था तथा आहत दर्द की शिकायत कर रहा था। आहत को आई चोटों के लिये उसने आहत को पुरुष सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था। उसके द्वारा तैयार की गई आहत विजय यादव की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है। उसी दिनांक को उसी आरक्षक के द्वारा आहत कमली यादव को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के सीधे पैर में दर्द एवं सूजन होना पाया था। इसके अलावा आहत को कोई बाहारी चोट नहीं पाई थी। आहत को आई चोट के लिये उसने आहत को महिजा सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया था। उसके द्वारा तैयार की गई आहत कमली यादव की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-10 है।

(19) अभियोजन साक्षी डॉक्टर मधुकर (अ.सा. 4) का कहना है कि उसने दिनांक 07.04.2010 को विजय मोहन यादव, उम्र 26 साल, को रिश्तेदारों के साथ लाया गया था। तब उसे सीधे पैर में जांघ के नीचे के हिस्से में दर्द था। एक्सरा करने पर फ्रेक्चर सेफ्ट सीधे पैर में पाया था। दिनांक 28.04.2010 को उसने उसका ऑपरेशन किया और दिनांक 11.04.2010 को ठीक हालत में छोड़ा। उसकी एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है। आहत की एक्सरे प्लेट अर्टीकल ए-1 से लगायत ए-4 है।

(20) अभियोजन साक्षी कमली यादव (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना वर्ष 2010 की है। वह उसके पति के साथ मोटरसाईकिल पर बैठकर नागपुर से उसके मायके कोयलीखापा जा रही थी। बैहर से एक ट्रक सामने से आया और अचानक से ट्रक को मोड़ दिया, जिससे उनकी मोटरसाईकिल ट्रक के पीछे की साईड से टकरा गई और वह मोटरसाईकिल सहित गिर गये, गिरने से उसके दाहिने पैर पर एवं उसके पति के सोल्डर व पैर में चोट आई। घटना के समय ट्रक कौन चला रहा था, उसने नहीं देख पाया था। घटना की रिपोर्ट उसने चौकी उकवा में की थी, जो प्रदर्श पी-07 है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया कि वाहन के नम्बर उसने नहीं बताये थे।

(21) अभियोजन साक्षी विजय यादव (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना वर्ष 2010 की है। वह उसकी पत्नी को मोटरसाईकिल पर बैठकर नागपुर से कोयलीखापा जा रहा था। बैहर से एक ट्रक सामने से आया और अचानक से ट्रक को मोड़ दिया, जिससे उसकी मोटरसाईकिल ट्रक के पीछे की साईड से टकरा गई और वह

मोटरसाईकिल सहित गिर गये, गिरने से उसकी पत्नी के दाहिने पैर पर एवं उसके सोल्डर व पैर में चोट आई। घटना के समय ट्रक कौन चला रहा था, उसने नहीं देख पाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि दुर्घटना में वह बेहोश हो गया था। घटना होते हुये किसी ने नहीं देखी। दुर्घटना मोड़ होने के कारण हुई।

(22) अभियोजन साक्षी कोमल बिसेन (अ.सा. 2) एवं अशोक सैयाम (अ.सा. 3) का कहना है कि उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(23) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी विवेचनाकर्ता एवं मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट से दुर्घटना में कमली यादव एवं विजय यादव को उपहति एवं घोर उपहति कारित होना तो परिलक्षित होता है। किन्तु फरियादिया कमली यादव ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह बताया है कि दुर्घटना के समय वाहन कौन चला रहा था उसने नहीं देखा। वाहन के नम्बर भी उसने नहीं बताये थे। अभियोजन साक्षी विजय ने भी अपने मुख्यपरीक्षण में बताया कि वह दुर्घटना के समय बेहोश हो गया था। वाहन कौन चला रहा था उसने नहीं देखा। वाहन के नम्बर भी उसने नहीं बताये थे। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी कोमल बिसेन एवं अशोक सैयाम को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का आंशिक मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा कायमीकर्ता व विवेचनाकर्ता के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। ऐसी स्थिति में आरोपी ने दिनांक 06.04.2010 को शाम के 05:00 बजे ग्राम समनापुर के आगे गोड़ी नाला के पास टर्निंग में थाना रूपझर के अन्तर्गत लोगमार्ग पर वाहन टाटा टरबो ट्रक 1109 क्रमांक सी.जी.04-जे.ए.3054 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं विजय, कमली को टक्कर मारकर उपहति कारित की व विजय यादव को घोर उपहति कारित की। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(24) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 06.04.2010 को शाम के 05:00 बजे ग्राम समनापुर के आगे गोड़ी नाला के पास टर्निंग

में थाना रुपझर के अन्तर्गत लोगमार्ग पर वाहन टाटा टरबो ट्रक 1109 क्रमांक सी.जी. 04-जे.ए.3054 को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक तारीके से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं विजय, कमली को टक्कर मारकर उपहति कारित की व विजय यादव को घोर उपहति कारित की। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(25) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337(काउन्टस-2), 338 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(26) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(27) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा टरबो ट्रक 1109 क्रमांक सी.जी.04-जे.ए. 3054 तथा वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जाये।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)